

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 186 / 2020

जगजिन्द्र सिंह पुत्र छविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0) नाबालिक जरिये कुदरतीवली माता
रमनदीप कौर बराड़ पत्नी जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

वादी

बनाम


- 1 गुरमेल सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 2 छविन्द्र सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी रोटावाली तहसील
सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझे हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोवरु
हमारे बहाजरी श्री रेशम सिंह वकील वादीगण मिन जागिन मुद्ई श्री संदीप कुमार
सोखल अधिवक्ता वकील प्रतिवादीगण मिन जानिव मुद्यायला पेश होकर हुक्म दिया
जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार
(राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :- चक 13 एल एल जी के
खाता संख्या 62/62 की 0.552 है0 आराजी, खाता संख्या 48/48 की 0.949 है0
आराजी, खाता संख्या 19/19 की 2.593 है0 आराजी एवं चक 11 एल एल जी के
खाता संख्या 21/21 की 0.822 है0 आराजी एवं खाता संख्या 22/22 की 0.379 है0
कुल 5.295 है0 आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इस
हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही
वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।
बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.9.2020 को जारी
किया गया।


हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

